न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान
उपस्थिति–उमेश मणि त्रिपाठी

सत्र वाद संख्या– 78/2023
निबंधन संख्या–78/2023

राज्य बनाम विकास सिंह

21.05.2026 एकमात्र अभियुक्त विकास सिंह अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक 12.02.2024 को खण्डित किया गया। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र दिनांक–24.02.2024 को निर्गत किया गया, बावजूद इसके अभियुक्त न हीं स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ और न हीं उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.10.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध दं0प्र0स0 की धारा 82 के अर्न्तगत आदेशिकॉए निर्गत की गई तथा दिनांक 28.07.2025 को दं0प्र0स0 की धारा 83 के अंतर्गत आदेशिकॉए निर्गत किया गया है। धारा 83 दं0प्र0सं0 के तामिला में यह प्रतिवेदित किया गया है कि कुर्की वारंटी के घर पर कोई चल सम्पति नहीं पाया गया क्योंकि पूर्व में दिनांक–25.11.2024 को सत्रवाद संख्या–75/2023 में कुर्की जप्ती की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार निकट भविष्य में भी उक्त अभियुक्त का न्यायालय में उपस्थित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त **विकास सिंह** को **फरार** घोषित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्त विकास सिंह के विरूद्ध स्थाई अधिपत्र निर्गत करें। कार्यालय फरार पंजी में अंकित करने के पश्चात् अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
सिवान

Date of order/Judgement	21-05-2026
Date of Reserving order/Judgement	21-05-2026
Uploading Date	23-05-2026
Uploaded By	Mosarrat